

## ORDER SHEET (CONT.)

24/06/2007 इजरा क्लेम

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
12-05-18	<p>डिक्रीदार द्वारा अधिवक्ता श्री आर०के० वाजपेयी। निर्णीत ऋणी पूर्व से एकपक्षीय।</p> <p>इस न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही को निरंतर रखे जाने के औचित्य के संबंध में डिक्रीदार के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये।</p> <p>डिक्रीदार की वसूली योग्य धनराशि वसूल करने के संबंध में आर०आर०सी० प्रमाण पत्र कलेक्टर भिण्ड की ओर जारी किया जा चुका है।</p> <p>जहां डिक्रीदार की वसूली योग्य राशि वसूल करने के संबंध में रेवेन्यू रिकवरी प्रमाण पत्र कलेक्टर की ओर जारी कर दिया गया हो वहां कलेक्टर द्वारा उक्त प्रमाण पत्र पर से क्या कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में न तो प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा बुलवाया जा सकता है और न ही कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा "सुपरवाईज" किया जा सकता है, क्योंकि भू-राजस्व वसूली एकमेव कलेक्टर के क्षेत्राधिकार का मामला है।</p> <p>अतः जहां आर०आर०सी० प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया हो वहां राशि वसूल होने के उपरांत कलेक्टर द्वारा इस न्यायालय में राशि भेजे जाने पर वह राशि डिक्रीदार को भुगतान की जा सकेगी। आर०आर०सी० प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत राशि डिक्रीदार को वितरित करने के अलावा इस न्यायालय को अन्य कोई क्षेत्राधिकार वसूली के संबंध में नहीं है।</p> <p>अतः यह प्रकरण इस उल्लेख के साथ अभिलेखागार भेजा जाता है कि जारी आर०आर०सी० प्रमाण पत्र के पालन में राशि प्राप्त होने पर डिक्रीदार उक्त राशि प्राप्त करने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही कर सकता है तथा आवश्यक होने पर वह इस प्रकरण के अभिलेख को भी बुला सकता है।</p> <p>अतः नष्ट न करने के उल्लेख के साथ यह प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही / - (एच०के० कौशिक) द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद, जिला-भिण्ड (म०प्र०)</p>	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p> <p>सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)